हरिमोहन तिवारी विरूद्ध अरूणोदयानंद

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 3352–दो/12

जिला – शहडोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17-7-15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया । आलोच्य आदेश द्वारा कलेक्टर, शहडोल ने आवेदक की यह आपत्ति की अनावेदक द्वारा शासकीय भूमि पर पेट्रोल पप का निर्माण किया जा रहा है निराधार होने से निरस्त किया गया है तथा जिला आपूर्ति अधिकारी को आदेश दिए है वे पेट्रोल पंप के लिए अनुज्ञप्ति जारी करें । तहसीलदार को भी उन्होंने यह आदेश दिए हैं कि वे अनावेदक के चकबंदी पट्टे की एवं भूमि के विनिमय संबधी पृथक से जांच कर समुचित कार्यवाही करें । कलेक्टर द्वारा उक्त आदेश म. प्र. भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत नहीं दिया गया है ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी संहिता की धारा 50 के तहत इस न्यायालय में प्रचलन योग्य नहीं है । परिणामतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रचलन योग्य न होने से निरस्त की जाती है । 2– उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । (एम.के. सिंह) सदस्य, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर	

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (खण्डपीठ रीवा) (म0प्र0)

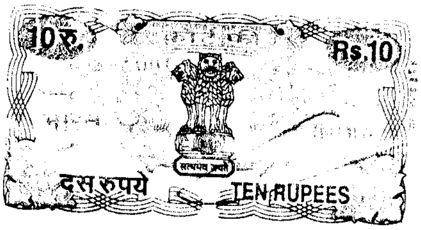

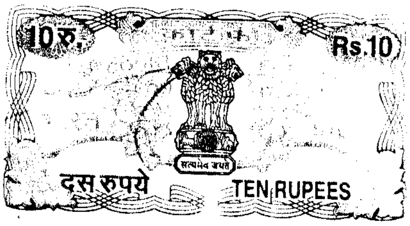

R. 3352-III/12

[illegible] तिवारी पिता श्री महेश प्रसाद तिवारी, निवासी पेट्रोल पम्प के पास ब्योहारी, जिला शहडोल (म0प्र0)

स्वामीदीन गुप्ता पिता श्री जागेश्वर प्रसाद गुप्ता, निवासी ब्यौहारी, जिला शहडोल (म0प्र0) ---------आवेदकगण

बनाम्

[illegible] पिता रामदास ब्रा0

[illegible] शुक्ला पिता अरूणोदयानंद शुक्ला

[illegible] निवासी ब्योहारी, जिला शहडोल (म0प्र0) ---------अनावेदकगण